

ऑन लाईन नं. RCMS2023/70

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं० 37/2023

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री विनोद कुमार गाबा पुत्र श्री ठाकरदास गाबा -खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक-
मै० रामकिशन विनोद कुमार, तहबाजारी, केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/58

निर्णय

दिनांक : 29.03.2023

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 18.08.2011 के गजट में भाग 2(क) पर प्रकाशित हुआ है एवं परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश क्रमांक:-एफएसएसए/2020/830 दिनांक 26.10.2020 एवं क्षेत्राधिकार अधिसूचना 11.04.2012 अनुसार प्रकाशित के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंगन है।

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 24.02.2022 को बाद 2.00 बजे का मै० रामकिशन विनोद कुमार, तहबाजारी, केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर पर पहुंचा। मौके पर विक्रेता विनोद कुमार गाबा पुत्र श्री ठाकरदास गाबा को अपना परिचय देकर दुकान पर रखे धनियां पाउडर (प्लेन पोली पेक) के बारे में जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने स्वयं को दुकान का मालिक बताया तथा दुकान के अन्दर 20 किलोग्राम धनियां पाउडर (प्लेन पोली पेक)को आमजन के विक्रय वास्ते होना बताया। मुझे इसी धनियां पाउडर (प्लेन पोली पेक)में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते धनियां पाउडर (प्लेन पोली पेक) का नमूना लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान के व मैने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए न्याय निर्णयन के साथ सलंगन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध धनियां पाउडर (प्लेन पोली पेक) 2 किलोग्राम को विक्रेता से कय किया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त कयशुदा धनियां पाउडर (प्लेन पोली पेक) का नगद भुगतान 280/- रुपये किया तथा केशमीमो बनावाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और मेरे भी हस्ताक्षर है। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ सलंगन है।



हरीतिमा
अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विनोद कुमार गाबा पुत्र श्री ठाकरदास गाबा एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक विनोद कुमार गाबा पुत्र श्री ठाकरदास गाबा को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए मूल सलंगन न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा धनियां पाउडर (प्लेन पोली पेक) 2 किलोग्राम के चारों प्लेन पोली पेक पर लैबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड व क्रमांक के-1412 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप के-1412 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं के आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विनोद कुमार गाबा पुत्र श्री ठाकरदास गाबा एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट मूल सलंगन न्यायनिर्णयन आवेदन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :-:L.S./351/Act/2022/351 Dated 15-03-2022 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना K-1412 Turmeric starch होना पाया गया। इस पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त विनोद कुमार गाबा पुत्र श्री ठाकरदास गाबा मै0 रामकिशन विनोद कुमार, तहबाजारी, केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर धनियां पाउडर (प्लेन पोली पेक) का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 03.03.2023 को प्रस्तुत किया गया।



Handwritten signature and blue official stamp of the District Collector, Jaipur, Rajasthan. The text reads 'जिला कलेक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर'.

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि:- प्रार्थी केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर का रहने वाला है। प्रार्थी मै० रामकिशन विनोद कुमार, तहबाजारी, केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर का मालिक है। प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र क्रमांक 23/438 दिनांक 09.03.2023 का दिया है कि आपकी दुकान में धनियां पाउडर (प्लेन पोली पेक) की जांच की गई तो धनियां पाउडर (प्लेन पोली पेक) **Turmeric starch** पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त धनियां पाउडर (प्लेन पोली पेक) में सुधार कर लिया है, भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया धनियां पाउडर (प्लेन पोली पेक) का सैम्पल **K-1412** जांच रिपोर्ट क्रमांक :-:L.S./351/Act/2022/351 Dated 15-03-2022 द्वारा **Turmeric starch** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 में निर्धारित है।

अप्रार्थी ने जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर का रहने वाला है। प्रार्थी मै० रामकिशन विनोद कुमार, तहबाजारी, केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर का मालिक है। प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र क्रमांक 23/438 दिनांक 09.03.2023 का दिया है कि आपकी दुकान में धनियां पाउडर (प्लेन पोली पेक) की जांच की गई तो धनियां पाउडर (प्लेन पोली पेक) **Turmeric starch** पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त धनियां पाउडर (प्लेन पोली पेक) में सुधार कर लिया है, भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे।



हस्ताक्षर
जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of "Dhania Powder " bearing Code No and Sr. No. K-1412, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Food containing extraneous matter under section 3.1.(i) of the Food Safety and standards Act 2006 due to presence of Turmeric starch . की जाँच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है ।

फलस्वरूप अभियुक्त विनोद कुमार गाबा पुत्र श्री ठाकरदास गाबा को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त विनोद कुमार गाबा पुत्र श्री ठाकरदास गाबा को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 के अन्तर्गत राशि रूपये 5,000-00 (अखरे रूपये पांच हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में विनोद कुमार गाबा पुत्र श्री ठाकरदास गाबा खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.03.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।



(डा. हरीतिमा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासक)
श्रीगंगानगर